न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 72/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–गोवर्धन पिता दौला ढोली नि0 टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **प्रार्थी**

बनाम

1–जेठु पिता दौला ढोली नि0 टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–बंशी पिता दौला ढोली नि0 टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–लेहरू पिता मांगु सालवी नि0 टूंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी

1. जाकिर हुसैन

निर्णय

दिनांक 12.07.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात ग्राम टूंगच पटवार हल्का टूंगच के तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित खाता संख्या 40 मे अंकित आराजी संख्या 785 रकबा 0.14 हे0, 790 रकबा 0.05 हे0, 1801/791 रकबा 0.08 हे0, 1803/792 रकबा 1.03 हे0, 1807/933 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.41 हे0 भूमि स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की कृषि आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात मे मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आये दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी की कृषि आराजियात मे दखंलनदाजी करते रहते है व विपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि की थोहर की बाड़ को काटकर प्रार्थी की भूमि मे कब्जा करना शुरू कर दिया है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया फिर भी विपक्षीगण नही मान रहे है जिससे प्रार्थी की कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहते है व अंतिम बार प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् दिनांक 05.06.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 09.06.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 03 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम टूंगच पटवार हल्का टूंगच के तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित खाता संख्या 40 मे अंकित आराजी संख्या 785 रकबा 0.14 हे0, 790 रकबा 0.05 हे0, 1801/791 रकबा 0.08 हे0, 1803/792 रकबा 1.03 हे0, 1807/933 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.41 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 650/– अक्षरे छः सौ पच्चास रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

12/7/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा